बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/परिवाद (गया) 13–135/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

परिवादी श्रीमती धनवन्ती देवी द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच हेतु विभागीय जाँच दल का गठन किया गया। विभागीय जाँच दल द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर **श्री राज़ीव रंजन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गया सदर, गया** के विरूद्ध दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–64/2022–23 में दिनांक–19.11.2022 को पारित आदेश का अवहेलना किये जाने तथा आदेश अनुपालन करने हेतु 02 कट्ठा जमीन की मांग किये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

2. प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2080(15) दिनांक–05.12.2023, पत्रांक–182(15) दिनांक–06.02.2024, पत्रांक–612(15) दिनांक–08.04.2024, पत्रांक–1292(15) दिनांक–30.07.2024, पत्रांक–2527(15) दिनांक–26.12.2024 एवं पत्रांक–766(15) दिनांक–16.05.2025 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री रंजन द्वारा अपने कार्यालय(न्यायालय, कार्यपालक दंडाधिकारी, गोपालगंज) के पत्रांक–56 दिनांक–17.07.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गया द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–64/2022–23 में दिनांक–09.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन काफी विलंब से दिनांक–07.08.2023 को विभागीय जाँच दल द्वारा जॉचोपरांत उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में दिए गए निदेश के पश्चात् किया गया है, जिससे विलम्ब से अनुपालन किये जाने में उनकी गलत मंशा प्रतीत होती है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के एवज में रिश्वत की मांग किए जाने संबंधी शिकायत को बल मिलता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गया द्वारा पारित आदेश का ससमय अनुपालन कर दिया गया होता तो परिवादी को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती। इस रूप में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व के प्रति शिथिलता, उदासीनता, लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता बरती गई है अथवा निजी लोभ/स्वार्थवश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गया द्वारा पारित आदेश का अनुपालन काफी विलंब से विभागीय जाँच दल द्वारा जॉचोपरांत दिए गए निदेश के पश्चात् किया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रंजन को "निन्दन" के साथ "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजीव रंजन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गया सदर, गया सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, नालन्दा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"(आरोप वर्ष–2023–24)** एवं नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

निबंधित/
ई–मेल

ज्ञापांक–15/परिवाद (गया) 13–135/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया एवं नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं नालन्दा/श्री राजीव रंजन, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद (गया) 13–135/2023–378.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–19.03.2026

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री राजीव रंजन** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

17/03/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।